

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह

मिसल नम्बर :- 01/2020

सरकार

बनाम

मेवा देवी पत्नी श्री रामनिवास जाति योगी निवासी बसन्त बिहार तहसील
खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

.....गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 24-08-2020

:- निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का खरखड़ा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम बसन्त बिहार स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 3.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 हेक्टेयर पर गैर सायल मेवा देवी पत्नी श्री रामनिवास जाति योगी निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने छड़ी-बाड़ एवं गोबर डालकर कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायल से सम्यक् रूप से बाद तामिल प्राप्त। गैर सायल की ओर से कोई सबूत पेश नहीं हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल मेवा देवी पत्नी श्री रामनिवास जाति योगी निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने राजस्व ग्राम बसन्त बिहार स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 3.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर छड़ी-बाड़ एवं गोबर डालकर कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण

तहसीलदार खेतड़ी
(लगातार)
जिला- झुंझुनूं (राज.)

कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिन में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। अतः पटवारी हल्का खरखड़ा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-: आदेश :-

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खरखड़ा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम बसन्त बिहार स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 3.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 पर से बेदखल किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का खरखड़ा से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम बसन्त बिहार स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 05 रकबा 3.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-08-2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)